न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 07/2017

प्रार्थीगण

श्री डायालाल पुत्र श्री नारायणलाल जाति वोरा निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती मंजुदेवी पत्नि श्री पूरणमल जाति अग्रवाल निवासी तरूंगी हाल सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 09.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 14.05.2013 क्षेत्रफल 990 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को जिस मकान का पट्टा दिया गया है वह मकान प्रार्थी के मालिकी स्वामित्व का है, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या एक व दो को भलीभांति है। यह है कि प्रार्थी के मालिकी स्वामित्व का भूखण्ड मय मकान के रेबारीवास वार्ड संख्या 08 सरूपगंज में आया हुआ है। यह प्रार्थी जईफ उम्र का वृद्ध व्यक्ति है, जो मूल रूप [illegible] उक्त सम्पत्ति सरूपगंज में आई हुई है, जो प्रार्थी के मालिकी स्वामित्व [illegible] है कि इस संबंध में पंचायत प्रसार अधिकारी व विकास अधि[illegible] की गई तथा उक्त जांच में उक्त पट्टा नियम विरूद्ध जारी क[illegible] गया, जिसकी जां[illegible] प्रार्थी को दिनांक 13.06.2017 को [illegible] कि इस पट्टे से सं[illegible]त्रावली का अवलोकन से यह जानकारी हुई कि समस्त [illegible]शिका खाली छोडी गई [illegible]समें किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है और न ही आपत्ति आमंत्रण का उल्लेख है तथा न ही मौके पर निरीक्षण हेतु पंचों की समिति गठित की गई है। यह है कि आबादी

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र तैयार किया गया है वह किस जगह का है और किन पंचान ने मौका निरीक्षण किया है उनके कहीं पर भी नाम या हस्ताक्षर नहीं है और न ही सरपंच ने उक्त निरीक्षण प्रपत्र को तस्दीक किया है। इस प्रकार उक्त खाली फॉर्म के आधार पर भूखण्ड मय मकान का मौका निरीक्षण किया तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यह है कि गवाहान के जो शपथ पत्र लिए गए है उनमें उक्त मकान कितने वर्गफुट में बना हुआ है व किसके स्वामित्व का है उक्त सभी विकल्प खाली छोड रखे है। ग्राम पंचायत भावरी ने उपलब्ध रेकर्ड का नजरअंदाज कर तथा मालिकी स्वामित्व की बिना कोई जांच किए उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(ख) के तहत पुराने मकान का पट्टा शुल्क 200/–रूपए लेकर जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है ।

अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का वर्षो पुराना मकान बना हुआ था। अतः पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायत राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। यह है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी के मालिकी स्वामित्व का कोई मकान बना हुआ नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने उपरोक्त सम्पत्ति प्रार्थी को सन् 2016–17 में प्रार्थी के किसी सामाजिक कार्यक्रम हेतु एक दिन के लिए दी थी, इसके बाद न तो प्रार्थी इस मकान में रहा है और न ही उक्त सम्पत्ति का मालिकाना हक अधिकार प्रार्थी को इससे प्राप्त होता है। यह है कि उक्त पट्टे की पत्रावली की समस्त आदेशिकाऐं खाली है तो यह ग्राम पंचायत की गलती है, इससे प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है और न ही अप्रार्थी संख्या दो के हक अधिकार कम होते है। यह है कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा समस्त जांच कर कब्जे के आधार पर ही पट्टा जारी किया है। यह है कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या दो को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दोनों अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, भावरी द्वारा पंचायत के संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.04.2013 से 200/– रूपये की राशि वसूल कर पट्टा जारी किए गए है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य [illegible]96 के नियम 157(ख) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का नियमितिकरण– [illegible] व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और प[illegible] के [illegible] वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 25 [illegible] पट्टा जारी किया जा सकेगा–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पचांयत भावरी अप्रार्थी संख्या दो को वर्षो पुराना मकान बना होने के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड पूर्व में श्री शंकरलाल पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपूत का था, जिसे दिनांक 02.05.1991 को जरिए इकरारनामे के प्रार्थी ने श्री शंकरलाल पुत्र श्री भीखसिंह से क्रय किया था एवं दिनांक 20.02.1992 को जरिए इकरारनामे के श्री शंकरलाल पुत्र श्री भीखसिंह ने जरिए इकरारनामे के उक्त भूखण्ड की राशि प्राप्त कर प्रार्थी के हक में बेचान इकरारनामा तहरीर करवाया एवं कब्जा सुपूर्द किया। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या दो के मालिकी स्वामित्व का है, एवं उनके द्वारा इस संबंध में एक शपथ पत्र, जो श्री शंकरलाल पुत्र श्री भीखसिंह के पुत्र श्री राजूसिह पुत्र श्री शंकरसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंकित किया है कि उक्त विवादित भूखण्ड श्री राजूसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह के पिता ने दिनांक 10.01.2011 को श्री शंकरलाल पुत्र श्री पूरणमल को विक्रय करने का इकरार किया था परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं न ही अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता ने दिनांक 10.01.2011 को हुए किसी इकरारनामे को प्रस्तुत किया है, जिससे उक्त विवादित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या दो के मालिकी स्वामित्व के होने का साबित हो सके। अतः अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे कि उक्त विवादित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या दो के मालिकी स्वामित्व का है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टे से संबंधित पत्रावली की आदेशिकाओं को खाली छोडा गया है जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है और न ही आपत्ति आमंत्रण का उल्लेख है तथा मौके पर निरीक्षण हेतु पंचों की गठित समिति के सदस्यों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। यह है कि आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र तैयार किया गया है वह किस जगह का है और किन पंचान ने मौका निरीक्षण किया है उनके कहीं पर भी नाम या हस्ताक्षर नहीं है और न ही सरपंच ने उक्त निरीक्षण प्रपत्र को तस्दीक किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त भूखण्ड मय मकान का मौका निरीक्षण नहीं किया गया है। यह है कि गवाहान के जो शपथ पत्र लिए गए है उनमें उक्त मकान कितने वर्गफुट में बना हुआ है व किसके स्वामित्व का है उक्त सभी विकल्प खाली छोड रखे है। यह है कि आदेशिका की जो कार्यवाही की गई है, उस पर कहीं पर भी सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, जो इस पट्टे को जारी करने की कार्यवाही पर संदेह पैदा करती है। यह है कि इस संबंध में कार्यालय पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा की गई जांच में उक्त विवादित पट्टा नियम विरूद्ध जारी करना पाया गया। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी उक्त विवादित पट्टा को यह न्यायालय न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 14.05.2013 क्षेत्रफल 990 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible]2.2021 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner